13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1620–दो/06 विरूद्ध आदेश, दिनाक 17–8–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 88/05–06 अपील

श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री बैजनाथ
निवासिन ग्राम पड़ावली (पुर) तहसील
व जिला मुरैना म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 रामवक्स पुत्र श्री रामनाथ
2 अशोक कुमार पुत्र श्री रामनाथ

असल प्रतिप्रार्थीगण

3 राजाराम पुत्र श्री गिरधर
4 बहादुर पुत्र श्री गिरधर
5 हरिकण्ठ पुत्र श्री फद्दी
6 श्री कृष्ण पुत्र श्री रामचरन
सभी निवासीगण ग्राम पड़ावली, तहसील
व जिला मुरैना म0 प्र0

तरतीवी प्रतिप्राथीगण

–अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4-7-16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण कमांक 88/05–06/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–8–2008 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पड़ावली तहसील मुरैना में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी निगरानीकर्ता तथा प्रतिनिगरानीकर्तागण हैं । निगरानीकर्ता श्रीमती गुलाब देवी के द्वारा तहसीलदार मुरैना के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बटवारा किये जाने की प्रार्थना की गयी । तहसीलदार मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 02/2001–02/अ–27 पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 18–8–2005 से बंटवारा आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर प्रति निगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 198/04–05/अपील माल पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 20–12–2005 से अपील अस्वीकार की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना में प्रस्तुत की गयी । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 17–8–2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः कार्यवाही करने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2006 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी ममो में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह तथ्य सामने आये हैं कि तहसील न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा कराये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र से कार्यवाही आरंभ की गयी । आवेदन पत्र में पूर्व में हुये बंटवारा के आधार पर एवं घरू बंटवारा अनुसार भूमि पर कब्जे के आधार पर ही सर्वे नम्बरानों का उल्लेख

किया गया था, किन्तु वर्षो पूर्व पंचों के समक्ष जो घरू बंटवारा हुआ था और घरू बंटवारा के आधार पर निगरानीकर्ता तथा प्रति निगरानीकर्तागण को जो सर्वे नम्बरान प्राप्त हुये थे, उन सर्वे नम्बरान का उल्लेख पटवारी मौजा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत फर्द बंटवारा में नहीं किया गया था । इस प्रकार तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गयी किन्तु न तो तहसील न्यायालय द्वारा इस आपत्ति पर कोई विचार किया गया न प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विचार किया गया । इसके अलावा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 24–5–2005 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । उक्त जांच रिपोर्ट और पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा दोनों में भिन्नता थी । राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजी गयी जांच रिपोर्ट पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि तहसील न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियां प्राप्त हुई थी, सर्वप्रथम उन आपत्तियों का निराकरण किया जाना चाहिये था । संहिता की धारा 178 में यह प्रावधानित किया गया है कि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पहिले किया जावेगा, उसके बाद प्रकरण का निराकरण गुणागुण पर किया जावेगा । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही केवल निगरानीकर्ता गुलाबदेवी को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से की गयी है । यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा ऐसी अवैध एवं अपूर्ण कार्यवाही पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगा दी गयी है । इस न्यायालय द्वारा 1992 रे0नि0 04 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 178 विभाजन के नियम –नियम 4 व 6 केवल कब्जा के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता–भू–खण्डों की उत्पादकता और समीपस्थता पर विचार किया जाना चाहिये–उत्पादकता का अवधारण मिट्टीयों के प्रकार के आधार पर किया जाना चाहिये–विभाजन की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई का अवसर प्रदान कराया जाना चाहिये । इन सब पहलुओं पर अपर आयुक्त द्वारा गहन विवेचना करने के उपरान्त ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये

प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः नियमों के प्रकाश में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार परिलक्षित नहीं होता है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2006 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है। प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर